न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर
पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :–55/2016 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :–2016/00200

उनवान

राजवीर सिंह पुत्र श्री नवाब सिंह उम्र 70 वर्ष जाति ठाकुर निवासी ग्राम इन्दे का पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. विजयपाल सिंह } पिस0 नवाब सिंह
2. महेन्द्र सिंह }
3. अनिल } पिस0 रामवीर सिंह
4. अमित }
5. शांति पुत्र नवाब सिंह

} जाति ठाकुर नि0 ग्राम इन्दे का पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

6. शशी पुत्री रामवीर पत्नी विजेन्द्र जाति ठाकुर निवासी हनुमान मंदिर के पास गौला का मंदिर ग्वालियर।
7. प्रबंधक धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बसेडी तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी 11.07.2016 प्र0स0 08/2010 राजवीर बनाम विजयपाल

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री सुरेश श्रीवास्तव उपस्थित।
2. अधिवक्ता रैस्पो0 श्री हरवीर सिंह, दिलीप शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 10.09.2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट द्वारा प्रतिवादी/रैस्पो0 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर, दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद, बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री किया जाकर, तहसीलदार बसेडी से विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुए, अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2016 से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायाालय की पत्रावली प्राप्त होने से पूर्व, उभयपक्ष ने जरिये अभिभाषक दिनांक 10.09.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर, अपील में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होना जाहिर करते हुए, अपीलाधीन निर्णय डिक्री को निरस्त कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्राप्त है, अतः अपीलाधीन वाद के पूर्ण तथ्य ज्ञात नही हो पा रहे हैं। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश भी आर्डर शीट पर अत्यन्त सूक्ष्म लिखा हुआ है, जिसमें वाद का पूर्ण शीर्षक के अलावा कुरो का कोई विवरण नहीं है। इस तरह का अस्पष्ट, अपूर्ण आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। परन्तु दिनांक 10.09.2018 को वक्त बहस, अभिभाषक उभयपक्ष ने बॅटवारानामा प्रस्तुत करते हुए, अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय डिक्री निरस्त करने की प्रार्थना की है। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने इसे राजीनामा मानते हुए, अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब नही हो पाई है, हमारा मत है कि पक्षकार अपील में प्रस्तुत किये जा रहे कथित बॅटवारानामा को अधीनस्थ न्यायालय में ही प्रस्तुत करें एवं अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्ष को सुनकर एवं पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य के सन्दर्भ में राजीनामा का मूल्यांकन कर पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करें।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर, प्रकरण मुताबिक बॅटवारानामा, पुनः सुनवाई किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.10.2018 को उपस्थित होवें।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर